[illegible] S/o [illegible] है। [illegible] के द्वारा [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

अतः माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22/6/2010 को गलत नजर, दिनांक 12/5/10 को जारी किए आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा कायम आराजी चक 5 ARW R' ग.न. 87/334 मु.न. 12 की कुल 2.872 है० भूमि को संशोधन का प्रकार से किया जाता है कि कि० न० 9 ता.12 पर का माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 12/5/10 प्रभावी नहीं रहेगा। अपितु चक 5 ARW, ग.न. 87/334 मु.न. 12 कि० न० 9 ता.12 की संशोधित भूमि पर माननीय जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के द्वारा जारी किया गया अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 22/6/2010 प्रभावशील रहेगा।

शेष आराजी के संबंध में दिनांक 12/3/2010 पूर्व की भांति प्रभावशील रहेगा।

प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण किया जाता है।

प्रार्थना पत्र मुकदमा के साथ [illegible] तकमीलकर्ता के सलग्न है।

अपील्स

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.04.07 22:24:01 IST
Reason: SelfAttested